ए.

मुकेश कुमार और ए. एन. आर. बनाम

भारत और ओआरएस का संघ। (2022 की सिविल अपील संख्या 1620) 24 फरवरी, 2022

बी.

[उदय उमेश ललित**,** एस**.** रवींद्र भाट और पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधानः Art.16 (2)-रेलवे बोर्ड के परिपत्र द्वारा लगाई गई शर्त कि मृत कर्मचारी की दूसरी पत्नी से पैदा हुए बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती-आयोजितः टिकाऊ नहीं है-केवल Art.16 (2) के तहत वंश के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार करना भेदभाव के बराबर है।

सी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

डी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-**जबकि अनुकंपा नियुक्ति अनुच्छेद **16** के तहत संवैधानिक गारंटी के लिए एक अपवाद है**,** अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक नीति अनुच्छेद **14** और **16** के जनादेश के अनुरूप होनी चाहिए।कहने का मतलब है**,** अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक नीति**,** जिसमें कानून की शक्ति है**,** को अनुच्छेद **16 (2)** में उल्लिखित किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए**,** जिसमें वंश भी शामिल है।इस संबंध में**,** 'वंश' को किसी व्यक्ति की पारिवारिक उत्पत्ति को शामिल करने के लिए समझा जाना चाहिए।पारिवारिक उत्पत्ति में अनुकंपा नियुक्ति के दावेदार के माता**-**पिता की शादी की वैधता और उनके बच्चे के रूप में दावेदार की वैधता शामिल है।यह नीति केवल मृतक कर्मचारी के बच्चों को वैध और अवैध के रूप में वर्गीकृत करके और केवल वैध वंशज के अधिकार को मान्यता देकर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है।इस तथ्य के अलावा कि सख्त जांच से पता चलेगा कि वर्गीकरण संदिग्ध है**,** जैसा कि इस न्यायालय द्वारा वी**.** आर**.** त्रिपाठी में दिखाया गया है**,** यह तुरंत वंश के आधार पर भेदभाव के संवैधानिक निषेध का उल्लंघन करेगा।ऐसी नीति अनुच्छेद **16 (2)** का उल्लंघन है।अपीलार्थी सं**. 1** के रूप में**,** अनुकंपा नियुक्तियों की योजना के तहत विचार से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह ए का पुत्र है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

644

645

मुकेश कुमार और ए. एन. आर बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

दूसरी पत्नी**,** मौजूदा नीति के अनुसार उसके मामले पर विचार करने का निर्देश होगा। अधिकारियों को यह जांचने का अधिकार होगा कि क्या अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कानून के अनुसार अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।**[**पारस **9,11] [651-**ए-डी**; 652-**सी-डी**]**

भारत संघ बनाम वी**.** आर**.** त्रिपाठी **(2019) 14** एस**.** सी**.** सी**. 646:[2018] 13** एस**.** सी**.** आर**. 281;** के**.** संतोष बनाम कर्नाटक पावर

बी.

पारेषण निगम लिमिटेड 2022 (1) कांत एल. जे. 154 (कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 24.06.2021 पर निर्णय);

युवराज दाजी खडके बनाम भारत संघः2019 एससीसी

ऑनलाइन बॉम **299 (21.02.2019** पर तय किया गया

सी.

बॉम्बे उच्च न्यायालय**);** भारत संघ बनाम रोहित चंद

2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 157 (दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 24.01.2020 पर निर्णय); वी. शिवमूर्ति बनाम एपी राज्य और अन्य, (2008) 13 एससीसी 730:[2008] 11 एससीआर

1201; डाक महानिदेशक बनाम के**.** चंद्रशेखर

राव (2013) 3 एस. सी. सी. 310:[2012] 12 एस. सी. आर. 795; हरियाणा राज्य बनाम अंकुर गुप्ता (2003) 7 एस. सी. सी. 704:[2003] 3

डी.

पूरक।एससीआर **333;** योगेंद्र पाल सिंह बनाम भारत संघ

(1987) 1 एससीसी 631:[1987] 2 एस. सी. आर. 49; गजुला

दशरथ राम राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और

ओआरएस। [1961] 2 एस. सी. आर. 931 पर निर्भर था।

ई.

नमिता गोल्डर और अन्र. वी.भारत संघ और ओआरएस।

(2010) 1 कैल। एलजे 464-अनुमोदित।4 भारत संघ बनाम पंकज कुमार शर्मा MANU/DE/3959/2014, WP (C) No.9008/2014 dt 19.04.2014-अनुमोदित।

संदर्भित निर्णय

एफ.

[2018] 13 एससीआर **281**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **2**

[2008] 11 एससीआर **1201**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **8**

[2012] 12 एससीआर **795**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **8**

[2003] 3 पूरक।एससीआर **333**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **8**

जी.

[1987] 2 एससीआर **49**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **8**

[1961] 2 एससीआर **931**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **9**

एच.

646

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

ए.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 1620।

2017 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले No.18153 में पटना में उच्च न्यायालय के दिनांक 18.01.2018 के निर्णय और आदेश से।मनीष कुमार सरन, सत्य प्रकाश शरण, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

बी.

सुश्री मीरा पटेल, बी. के. सतीजा, सुश्री सीमा बेनगनी, सुश्री वैशाली वर्मा, राज बहादुर यादव, अमरीश कुमार, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.**

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला छोटा मुद्दा यह है कि क्या रेलवे बोर्ड के परिपत्र द्वारा लगाई गई शर्त कि मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी से पैदा हुए बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, कानूनी रूप से टिकाऊ है।मामले पर विचार करने के बाद, हम अपीलार्थी के वकील से सहमत हैं कि यह मुद्दा भारत संघ बनाम वी. आर. त्रिपाठी में इस न्यायालय के फैसले के दायरे में आता है।1 हमने इस आधार पर अपील की अनुमति दी है।हमने यह भी माना है कि इस तरह का इनकार भेदभावपूर्ण है, जो केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के तहत वंश के आधार पर है।हम इस अपील के निपटारे के लिए कानून लागू करने से पहले मामले के तथ्यों का उल्लेख करेंगे।

डी.

ई.

तथ्यः

3. तथ्य, संक्षेप में, यह है कि जगदीश हरिजन भारतीय रेलवे के एक कर्मचारी थे जिन्हें 16.11.1977 पर नियुक्त किया गया था।अपने जीवनकाल में, श्री जगदीश हरिजन की दो पत्नियाँ थीं, अपीलार्थी संख्या 2, गायत्री देवी उनकी पहली पत्नी थीं और कोनिका देवी, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनकी दूसरी पत्नी थीं।अपीलार्थी नंबर 1 मुकेश कुमार अपनी दूसरी पत्नी के माध्यम से उनका बेटा है।श्री जगदीश हरिजन का 24.02.2014 पर सेवा में निधन हो गया।उसके तुरंत बाद, अपीलार्थी संख्या 2 ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए योजना के तहत अपने सौतेले बेटे/अपीलार्थी संख्या 1 की नियुक्ति की मांग करते हुए दिनांक 1 का अभ्यावेदन किया।प्रत्यर्थी-संघ ने 24.06.2014 पर अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि अपीलार्थी संख्या 1, दूसरी पत्नी का बेटा होने के नाते, इस तरह की नियुक्ति का हकदार नहीं है।विभागीय अपील 30.12.2015 पर खारिज कर दी गई।अपीलार्थियों

एफ.

जी.

1 भारत संघ बनाम वी. आर. त्रिपाठी, (2019) 14 एस. सी. सी. 646।

एच.

647

मुकेश कुमार और ए. एन. आर बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

ए.

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया, जिसे 19.07.2017 पर खारिज कर दिया गया था।पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा करके न्यायाधिकरण के फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाया गया था, जो नमिता के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आया था।

गोल्डर और ए. एन. आर. वी.भारत संघ और ओआरएस। (2010) 1 कैल। एलजे 464 अंडर

बी.

जिसे 02.01.1992 दिनांकित रेलवे का वही परिपत्र रद्द कर दिया गया था।हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया।

वकील के तर्कः

4. अपीलार्थियों के विद्वान वकील, श्री मनीष कुमार सरन ने प्रस्तुत विद्वान कि यह मुद्दा भारत संघ बनाम वी. आर. त्रिपाठी (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत आता है, जिसमें इस परिपत्र और रेलवे की नीति के संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित विद्वान गया है कि किसी कर्मचारी की दूसरी पत्नी के बच्चे को केवल उसी आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं विद्वान जा सकता है।उन्होंने नमिता गोल्डर (उपरोक्त) में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसे इसके द्वारा अनुमोदित किया गया है।

सी.

डी.

वी. आर. त्रिपाठी में न्यायालय।

5. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील, श्रीमती। संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली मीरा पटेल ने जवाबी हलफनामे में दिए गए बयान के आधार पर प्रस्तुत विद्वान ।काउंटर परिपत्र संख्या को संदर्भित करता है। ई (एन. जी.) II/2018/आर. सी.-1/5 दिनांकित 21.03.2018 परिपत्र दिनांकित 02.01.1992 के अधिक्रमण में जारी किया गया, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई कानूनी रूप से विवाहित जीवित विधवा नहीं चाहती कि उसका नाम लिया जाए, तो वह अपने पति के अवैध बेटों/बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए नामित नहीं कर सकती है।उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थियों द्वारा भरोसा किए गए इस न्यायालय के फैसले में नियुक्ति का निर्देश नहीं है, बल्कि केवल आवेदन पर विचार करने का प्रावधान है।इसलिए, अपीलार्थी द्वारा अनुरोध के अनुसार नियुक्ति के लिए कोई निर्देश नहीं हो सकता है।

ई.

एफ.

विश्लेषणः

6. यह सच है कि मामला अब एकीकृत नहीं है।वी. आर. त्रिपाठी के मामले में इस न्यायालय ने उसी नीति और परिपत्र पर विचार किया जो वर्तमान मामले में विचार के लिए उत्पन्न होता है। निर्णय में इस मुद्दे को शामिल किया गया है, जैसा कि निम्नलिखित अंशों से स्पष्ट हैः

जी.

“14. हालाँकि, वर्तमान मामले में वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या वह शर्त जो रेलवे बोर्ड के परिपत्र द्वारा लगाई गई है जिसके तहत अनुकंपा से नियुक्ति की गई है

एच.

मृत कर्मचारी के दूसरे विवाह से पैदा हुए बच्चों को (सिवाय इसके कि प्रशासन द्वारा व्यक्तिगत कानून आदि को ध्यान में रखते हुए विवाह की अनुमति दी गई थी) निष्पक्षता और समान व्यवहार की बुनियादी धारणाओं के अनुरूप नहीं दिया जा सकता है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप हो।

बी.

16. मुद्दा अनिवार्य रूप से यह है कि क्या यह एक नियोक्ता के लिए खुला है, जो अन्य वैध बच्चों के लिए उपलब्ध अनुकंपा नियुक्ति के लाभ से इनकार करने के लिए संविधान के भाग III के लिए उत्तरदायी है।निस्संदेह, अनुकंपापूर्ण नियुक्ति की नीति तैयार करते समय, राज्य उन शर्तों को निर्धारित कर सकता है जिन पर इसे प्रदान किया जा सकता है।हालाँकि, यह राज्य के लिए खुला नहीं है कि वह योजना या नियम बनाते समय ऐसी शर्त रखे जो संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ असंगत हो।अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य एक मृत कर्मचारी के परिवार में निर्धनता और गरीबी को रोकना है।परिपत्र का प्रभाव यह है कि किसी मृत कर्मचारी की दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे को किसी भी तरह के अभाव का सामना करना पड़ सकता है, अनुकंपा नियुक्ति से तब तक इनकार किया जाना चाहिए जब तक कि दूसरी शादी प्रशासन की अनुमति से नहीं की गई हो। एक बार जब हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 विवाह से पैदा हुए बच्चे को वैध मानती है, जबकि पहले का विवाह वैध है, तो अनुच्छेद 14 के अनुरूप, ऐसे बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लेने से बाहर रखना राज्य के लिए खुला नहीं होगा।बहिष्करण की ऐसी शर्त मनमाना और अधिकार से परे है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

17. भले ही संकीर्ण वर्गीकरण परीक्षण अपनाया जाता है, रेलवे बोर्ड का परिपत्र वैध बच्चों के एक वर्ग के बीच दो श्रेणियां बनाता है।हालाँकि कानून ने दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे को वैध माना है, लेकिन मृतक कर्मचारी की पहली शादी से पैदा हुए बच्चे को ही अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाता है।अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के अंतर्निहित हितकारी उद्देश्य, जो एक मृत कर्मचारी के परिवार में निर्धनता और गरीबी को रोकने के लिए है, के लिए आवश्यक है कि कोई भी शर्त या शर्त जो लगाई गई है, उस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए या होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है।विद्वान ए

जी.

एच.

मुकेश कुमार और ए. एन. आर बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आग्रह किया है कि द्विविवाह को हतोत्साहित करने की अपनी नीति के हिस्से के रूप में, केवल पहली शादी के पति या पत्नी और बच्चों के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लाभ को सीमित करने और बाद की शादी के पति या पत्नी और बच्चों को इससे वंचित करने के लिए राज्य खुला है।हम यहाँ दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों के बहिष्कार के बारे में चिंतित हैं।कानून के संचालन द्वारा वैध माने गए लाभार्थियों के एक वर्ग को बाहर करने से, लगाई गई शर्त उस उद्देश्य के लिए असमान है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है।अनुकंपा नियुक्ति की योजना के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, एक बार जब कानून ऐसे बच्चों को वैध मानता है, तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार करने से बाहर करना अस्वीकार्य होगा।बच्चे अपने माता-पिता को नहीं चुनते हैं।अनुकंपापूर्ण नियुक्ति से इनकार करना, हालांकि कानून एक अमान्य विवाह के बच्चे को वैध मानता है, उनकी गरिमा के लिए गहरा अपमानजनक है और भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक गारंटी के लिए आक्रामक है।

बी.

सी.

डी.

18. ...वैध बच्चों के एक वर्ग को केवल इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने से बाहर करना कि आवेदक की माँ मृत कर्मचारी की बहुवचन पत्नी थी, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध की कसौटी पर खरा उतरने में विफल रहेगा।यह एक मृत कर्मचारी के परिवार की गरिमा सुनिश्चित करने के पूरे उद्देश्य के लिए अपमानजनक होगा और उसे पराजित करेगा, जिसकी मृत्यु हो चुकी है।यह वैध लाभार्थियों के एक वर्ग-वैध बच्चों के बीच असंवैधानिक भेदभाव लाता है।"

ई.

एफ.

7. इस न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति की योजना और नियम संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।एक बार जब हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 विवाह से पैदा हुए बच्चे को वैध मानती है, जबकि पूर्व विवाह वैध है, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा यदि नीति या नियम ऐसे बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लेने से बाहर करता है।परिपत्र एक वर्ग के बीच दो श्रेणियां बनाता है, और इसका उन वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है जिन्हें प्राप्त करने की मांग की गई है।एक बार जब कानून उन्हें वैध समझ लेता है, तो उन्हें नीति के तहत विचार किए जाने से बाहर करना अस्वीकार्य होगा।वैध बच्चों के एक वर्ग का बहिष्कार

उद्देश्य के साथ संबंध की परीक्षा को पूरा करने में विफल रहेगा, और यह उद्देश्य को विफल कर देगा।

जी.

एच.

650

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

मृतक कर्मचारी के परिवार की गरिमा सुनिश्चित करना।इस फैसले का अब कई उच्च न्यायालयों ने भी पालन किया है।2 8.समानों के साथ असमान व्यवहार करने से होने वाले भेदभाव के अलावा, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के फैसले में दिखाया गया है, वंश के आधार पर भी भेदभाव है, जो अनुच्छेद 16 (2) के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।वी. शिवमूर्ति बनाम ए. पी. 3 राज्य में, इस न्यायालय ने कहा कि केवल वंश के आधार पर की गई नियुक्तियां अनुज्ञेय नहीं हैं।हालाँकि, अनुकंपापूर्ण नियुक्तियाँ सामान्य नियम के लिए एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवाद हैं यदि उन्हें सार्वजनिक नीति के विचारों को पूरा करने के लिए न्याय के हित में बनाया गया है।4 यह केवल उतना ही औचित्य प्रदान करता है और उससे आगे नहीं।

बी.

सी.

2 देखें, के. संतोष बनाम कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्प लिमिटेड 2022 (1) कांत एलजे 154

(कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 24.06.2021 पर निर्णय लिया गया); युवराज दाजी खड़के बनाम भारत संघः2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 299 (बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 21.02.2019 पर निर्णय); भारत संघ बनाम रोहित चंद 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 157।(दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 24.01.2020 पर निर्णय लिया गया)

3 वी. शिवमूर्ति बनाम एपी राज्य और अन्य, (2008) 13 एससीसी 730:“18. अनुकंपापूर्ण नियुक्तियों से संबंधित सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है;

डी.

(क) केवल वंश के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति नहीं है।लोक सेवा में नियुक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को ध्यान में रखते हुए आवेदनों के खुले निमंत्रण और तुलनात्मक योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए।यद्यपि नियुक्ति का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ उक्त सामान्य नियम के लिए एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवाद हैं, जो कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए न्याय के हित में बनाई गई हैं।(ख) सामान्य नियम के अपवाद के रूप में बनाई गई दो अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त आकस्मिकताएँ हैंः

ई.

(i) सेवा में रहते हुए कमाने वाले की मृत्यु के कारण परिवार में होने वाले अचानक संकट से निपटने के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति।((ii) कमाने वाले की चिकित्सा अयोग्यता के कारण परिवार में संकट से निपटने के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति।

एफ.

एक अन्य आकस्मिकता, हालांकि कम मान्यता प्राप्त है, वह है जहां भूमि धारक एक सार्वजनिक परियोजना के लिए अपनी पूरी भूमि खो देते हैं, यह योजना परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करती है।(विशेष रूप से जहां जिस कानून के तहत अधिग्रहण किया जाता है, वह बाजार मूल्य और मुआवजे के रूप में सहायता प्रदान नहीं करता है)।

(ग) अनुकंपा नियुक्ति का न तो दावा किया जा सकता है और न ही दी जा सकती है, जब तक कि सेवा को नियंत्रित करने वाले नियम ऐसी नियुक्तियों की अनुमति नहीं देते हैं।ऐसी नियुक्तियाँ ऐसी नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाली योजना के अनुसार और मौजूदा रिक्तियों के खिलाफ सख्ती से होंगी।

जी.

(घ) सहानुभूतिपूर्ण नियुक्तियों की अनुमति केवल संबंधित कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्य, यानी पति या पत्नी, बेटे या बेटी के मामले में दी जाती है, न कि अन्य रिश्तेदारों के मामले में।इस तरह की नियुक्तियां केवल निचली श्रेणी के पदों, यानी तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों पर होनी चाहिए और पहली या दूसरी श्रेणी के पदों पर रोजगार की मांग करके संकट को वरदान में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

एच.

651

मुकेश कुमार और ए. एन. आर बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

ए.

9. जबकि अनुकंपा नियुक्ति अनुच्छेद 16 के तहत संवैधानिक गारंटी के लिए एक अपवाद है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक नीति अनुच्छेद 14 और 16 के जनादेश के अनुरूप होनी चाहिए। कहने का मतलब है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक नीति, जिसमें कानून की शक्ति है, को अनुच्छेद 16 (2) में उल्लिखित किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिसमें वंश भी शामिल है।इस संबंध में, 'वंश' को किसी व्यक्ति की पारिवारिक उत्पत्ति को शामिल करने के लिए समझा जाना चाहिए।5 पारिवारिक उत्पत्ति में अनुकंपा नियुक्ति के दावेदार के माता-पिता की शादी की वैधता और उनके बच्चे के रूप में दावेदार की वैधता शामिल है।यह नीति केवल मृतक कर्मचारी के बच्चों को वैध और अवैध के रूप में वर्गीकृत करके और केवल वैध वंशज के अधिकार को मान्यता देकर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है।इस तथ्य के अलावा कि सख्त जांच से पता चलेगा कि वर्गीकरण संदिग्ध है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा वी. आर. त्रिपाठी में दिखाया गया है, यह तुरंत वंश के आधार पर भेदभाव के संवैधानिक निषेध का उल्लंघन करेगा।ऐसी नीति अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन है।

बी.

सी.

10.हम भारत संघ बनाम पंकज कुमार शर्मा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को अनुमोदन के साथ नोट करते हैं, जिसमें हममें से एक (न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट) एक पक्षकार थे, जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा नियुक्तियों की योजना के तहत नौकरी से इनकार करने के लिए वंश आधार नहीं हो सकता है।संघी जे. के माध्यम से बोलते हुए, न्यायालय ने निर्णय दिया:

डी.

"22. न्यायालय की राय है कि-लिखित रूप से मजबूत होने के अलावा-वैधता के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करने के संदर्भ में, या पहली या दूसरी पत्नी के रूप में उसकी माँ की स्थिति के आधार पर 'वंश' को समझना, अनुच्छेद 16 (2) के अंतर्निहित सिद्धांतों के भीतर फिट बैठता है।इस मायने में न केवल किसी का वंश पूरी तरह से किसी के नियंत्रण से बाहर है (और इसलिए, राज्य द्वारा स्वीकृत नुकसान का आधार नहीं बनना चाहिए), बल्कि यह भी एक स्थापित तथ्य है कि 'दूसरी' पत्नियों के बच्चे, चाहे वे अवैध हों या वैध, अक्सर गंभीर सामाजिक नुकसान का सामना करते हैं।एक अन्य

ई.

एफ.

4 डाक महानिदेशक बनाम के. चंद्रशेखर राव, (2013) 3 एससीसी 310 (पैरा 18 पर); इसके अलावा, अनुकंपा नियुक्तियों की संवैधानिकता को हरियाणा राज्य बनाम अंकुर गुप्ता (2003) 7 एससीसी 704 (पैरा 6 पर); योगेंद्र पाल सिंह बनाम भारत संघ (1987) 1 एससीसी 631 (पैरा 17 पर) में बरकरार रखा गया था।

जी.

5 देखें, गजुला दशरथ राम राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (1961) 2 एससीआर

931.

6 भारत संघ बनाम पंकज कुमार शर्मा MANU/DE/3959/2014, WP (C) No.9008 2014 dt 19.04.2014

एच.

यहाँ महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि प्रवेश स्तर पर-"वैधता" सार्वजनिक रोजगार से इनकार करने का आधार है और नहीं हो सकता है।इन कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता का विनियमन अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन करता है।"

11. उपरोक्त को देखते हुए, हम मानते हैं कि इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले के दायरे में आता है।वी. के.

त्रिपाठी और इसके परिणामस्वरूप 2017 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 18153 में पारित पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश अपास्त करना कर दिया गया है।जैसा कि हमने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी संख्या 1, श्री मुकेश * कुमार को केवल इसलिए अनुकंपा नियुक्तियों की योजना के तहत विचार से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह दूसरी पत्नी का पुत्र है, वर्तमान नीति के अनुसार उनके मामले पर विचार करने का निर्देश होगा। अधिकारियों को यह जांचने का अधिकार होगा कि क्या अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कानून के अनुसार अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।आवेदन पर विचार करने की प्रक्रिया आज से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी।12.तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।दल अपना खर्च उठाएंगे।

बी.

सी.

डी.

लागतें।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.